भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3206

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत 2.0 के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति

†3206. **डॉ. के. सुधाकरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अमृत 2.0 के अंतर्गत कर्नाटक के शहरों में 24x7 पेयजल आपूर्ति प्राप्त करने की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका क्या परिणाम रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में अमृत 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण हुई और कार्यान्वयनाधीन जलापूर्ति परियोजनाओं का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जलापूर्ति के लिए निर्धारित सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने और गैर-राजस्व जल में कमी लाने में किन्हीं कमियों को चिह्नित किया है और यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कर्नाटक में अमृत 2.0 के अंतर्गत सीवरेज और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनरुपयोग परियोजनाओं की शहर-वार स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का कर्नाटक में अमृत 2.0 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) जल राज्य का विषय है और शहर स्तर पर 24x7 जल आपूर्ति सहित पेयजल का प्रबंधन राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह

शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) जैसे विभिन्न मिशन/योजनाओं के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अनुसार परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

कर्नाटक राज्य ने 9589.95 करोड़ रुपये की 227 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 20.07 लाख नए/सर्विस्ड घरेलू नल कनेक्शन, 433.37 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की जल शोधन क्षमता, और 12,429 किमी का जल नेटवर्क शामिल है। जैसा कि राज्य द्वारा 09.07.2026 तक अमृत 2.0 पोर्टल पर अपडेट किया गया है, राज्य ने 8139.04 करोड़ रुपये (कैपेक्स लागत) की लागत के साथ 215 जल आपूर्ति परियोजनाएं अवार्ड की हैं, जिनमें से 3,795.53 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं। कर्नाटक राज्य में परियोजनाओं का यूएलबी/शहर-वार विवरण https://amrut.mohua.gov.in/approvedProjectsAmrut/ulb/OXhRK3hRdEZJSC9hdmxYZXVTM0ZFdz09 पर उपलब्ध है।

(ग) अमृत 2.0 के तहत, शहरों ने शहरी जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार की है, जिसमें जल आपूर्ति प्रणालियों का आकलन शामिल है, जिसने शहरों/यूएलबी को गैर-राजस्व जल में कमी सहित जल आपूर्ति के लिए निर्धारित सेवा स्तर बेंचमार्क के अनुसार कमियों की पहचान करने में मदद की। शहरी जल संतुलन योजना ने शहरों को मिशन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली परियोजनाओं के लिए संभावना की पहचान करने में मदद की। नगर जल संतुलन योजनाओं में पहचान की गई परियोजनाओं के आधार पर नगर जल कार्य योजना (सीडब्ल्यूएपी) तैयार की गई थी। इन सीडब्ल्यूएपी को राज्य जल कार्य योजनाओं (स्वैप) के रूप में संयुक्त किया गया था। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन

समिति (एसएचपीएससी) ने अमृत 2.0 के तहत स्वैप पर विचार किया और सिफारिश की/अनुमोदन दिया। एसएचपीएससी की सिफारिशों पर, अमृत 2.0 के तहत केंद्रीय स्तर पर शीर्ष समिति द्वारा स्वैप को अनुमोदन दिया गया है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 1,18,968.38 करोड़ रुपये (प्रचालन और रखरखाव लागत सहित) की 3,572 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें 11,769 एमएलडी जल शोधन क्षमता और 1.61 लाख किमी जल नेटवर्क (नया/नवीकृत) शामिल है।

सेवा प्रदायगी में सुधार और ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली हानियों और गैर-राजस्व जल को कम करने के लिए, अमृत 2.0 जहां भी व्यवहार्य हो, परियोजनाओं के निर्माण में जिला मीटरयुक्त क्षेत्र (डीएमए) दृष्टिकोण को अपनाने और स्मार्ट निगरानी प्रणालियों जैसे पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए), मीटर, प्रेशर वाल्व आदि को शामिल करने के लिए बढ़ावा देता है। राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के भीतर डीएमए या वार्ड में कम से कम एक नल से पेय़ (ड्रिंक फ्रॉम टैप) (डीएफटी) परियोजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसाकि अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपडेट किया गया है, अमृत 2.0 के तहत 20.40 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाली 1,285 डीएमए के साथ कुल 407 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है और अमृत 2.0 के तहत 1,473 जल आपूर्ति परियोजनाओं में एससीएडीए प्रणाली का प्रावधान है। कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अमृत 2.0 के तहत 20 शहरों में 24x7 पेयजल की आपूर्ति के लिए 1.23 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाले 92 डीएमए को अनुमोदन दिया गया है।

(घ) कर्नाटक राज्य ने अमृत 2.0 के तहत उपयोग किए गए पानी के पुन: उपयोग वाली परियोजनाओं सहित कोई सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजना शुरू नहीं की है।

(ङ) अमृत 2.0 के तहत, मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के व्यय की गति और प्रगति के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। अमृत 2.0 के तहत कर्नाटक राज्य के लिए कुल केंद्रीय आवंटन पूरी मिशन अवधि के लिए 4628 करोड़ रुपये है। अमृत 2.0 के तहत राज्य को 09.07.2026 तक 2467.14 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है/मूल स्वीकृति जारी की गई है।
